

सेवामें

मुकदमा नंबर 42/2022

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

रायपुर

अनवान

प्रार्थी

अप्रार्थी

राजस्थान सरकार

जरिये भूमिधारी

तहसीलदार रायपुर

1. खिचराज & लालुराम ओमप्रकाश & बाबूलाल
ओम माली सा. ब्रम्हा. रायपुर, देलमगरा
2. राजेन्द्र चौधरी & चैताराम जाट सा. यच्छवन
जाति..... निवासी.....


प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 वास्ते तरमीम दुरुस्ती

महोदय,

1. निवेदन है कि अप्रार्थी खिचराज ओमप्रकाश राजेन्द्र चौधरी निवासी जगन्नी अड्डा के नाम से ग्राम रायपुर -II पटवार मंडल रायपुर -II तहसील रायपुर जिला पाली के नाम से खातेदारी भूमि अवस्थित है।

अप्रार्थी की पैरा एक में वर्णित भूमि की तरमीम वक्त सेग्रिगेशन गलत स्थान पर सहवन से करदी गई जिसे दुरुस्त किया जाना है।


पटवारी हल्का रायपुर -II एवं भू अ.नि. रायपुर की रिपोर्ट अनुसार तरमीम शुद्धि के आदेश फरमाया जावे।


तहसीलदार रायपुर
जिला - पाली (मे.नं.०)


फर्दमौका

आज दिनांक 16.8.2022 को ग्राम रामपुर-II के खसरा संख्या 2528/1917, 2527/1917
रकबा 0.2348, 0.5018 किस्म गन्नी, आ.उ. खातेदार शिवराम, ओताप्रकाश, रविन्द्र चौधरी
कौम जम्बरी खसरा का मौका देखा। मौके अनुसार खातेदारान का निम्नांकित नक्शा अनुसार
कब्जा काशत है।

नजरीनक्शा



वर्तमान तरमीम जो गलत है।



सही स्थान पर प्रस्तावित तरमीम



मौका / नक्शा लट्ठा अनुसार तरमीम शुद्धि प्रस्तावित है।

- संलग्न-1. नकल जमाबन्दी
2. गत नक्शा की प्रति
3. वर्तमान नक्शा की प्रति


प० रामपुर-II


हस्ताक्षर गवाहान

हस्ताक्षर पटवारी


रामपुर-II



रिपोर्ट भू. ख. निरीक्षक

पटवारी हल्का रामपुर-II की फर्द मौका अनुसार मेरे द्वारा मौका जांच करली गई है। वर्तमान मौका एव पटवारी हल्का के पास उपलब्ध नक्शा लट्ठा अनुसार प्रस्तावित स्थान पर तरमीम किया जाना उचित है।


हस्ताक्षर भू. अ. निरीक्षक
रामपुर-II

तहसीलदार (भूमिधारी) की अनुशंषा

रिपोर्ट पटवारी हल्का रायपुर-11 जांच भू अ. नि. रायपुर
के आधार पर तरमीम शुद्धि की अनुशंषा की जाती है।


तहसीलदार रायपुर
तहसीलदार-रायपुर
जिला-पाली (गजग.)


मुकदमा नम्बर 42 / 2022

आदेश

तहसीलदार (भूमिधारी) रायपुर की अनुशंषा के अनुसार ग्राम रायपुर II के खसरा संख्या 2528, 1217, 2527 रकबा 0.2348, 0.5018, 0.3242 हे. की वर्तमान तरमीम के स्थान पर प्रस्तावित तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रायपुर पालना कर, पालना प्रस्तुत करें।


Reader.




उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)
रायपुर